



INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh

IN-UP01082772572474V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP01082772572474V
 Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 04:37 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14790104/ ALAPUR/ UP-AMB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1479010497739769781782V
 Purchased by : PT BANSHRAJ P S S G S S BHAGWANPUR MANJHARIYA A N
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) : 100
 (One Hundred only)
 First Party : PT BANSHRAJ P S S G S S BHAGWANPUR MANJHARIYA A N
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : PT BANSHRAJ P S S G S S BHAGWANPUR MANJHARIYA A N
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



N.S. Affixed Rs. : 2



Please write or type below this line

(प्रारूप-"अ")

मक: प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम सत्य प्रकाश पाठक पुत्र रामबली पाठक अध्यक्ष एवं कनक लता पत्नी अशोक कुमार क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव पं० बंशराज पाण्डेय स्मारक सत्य गोविन्द शिक्षण संस्थान ग्राम भगवानपुर मंझरिया पोस्ट अहिरौली गोविन्द साहब अम्बेडकरनगर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पं० बंशराज सत्य गोविन्द कालेज ऑफ फार्मसी ग्राम भगवानपुर मंझरिया पोस्ट अहिरौली गोविन्द साहब अम्बेडकरनगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भगवानपुर मंझरिया अम्बेडकरनगर में भूमि स्थित है गाटा संख्या 446मि०/0.508हे० व 97मि०/0.379हे० व 101/0.671हे० कुल रकबा 1,556हे० भूमि है।

धारा-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी प्राधिकरण में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

Deposition Sworn and Identified by Sworn and Identified by

S.P. Pathak

Statutory declaration

- The authenticity of the above certificate should be verified at www.pdsic.ambika.org or using e-Stamp Reader App at 022-26100000. Any other enquiry at 24x7 helpline for the Certificate 240 by WhatsApp on the number 78460111111.
- The user of e-Stamp has approved it on the spot of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(2)

धारा-4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 97मि0/.379हे0 व 101/0.671हे0 कुल रकबा 1.05हे0 मे से 2 ऐकड़ 8100 वर्ग मीटर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04.07.2021 द्वारा पारित किया गया है।

धारा-5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा-6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से अनुमोदित संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा झुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून-संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

S.P. Pathak
ह0 अध्यक्ष

कमकाता
ह0 सचिव

Deponent Sd.
Identified by Sd.
SWORN AND VERIFIED BEFORE ME

Satyra Prakash Pathak/Kanak Lakta

NOTARY
11/12/21